संख्या-86/2023/513/001-513-23-10-2023-18-सा0-2022

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में **अनुदान संख्या-58** लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु और छोटे निर्माण कार्यों हेतु रक्षित धनराशि से चालू कार्य **हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (बजट क वर्ग) के पत्र सं011289बीजी/7बी0 मॉग प्रस्ताव/2022-23 दिनांक 24.03. 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु और छोटे निर्माण कार्यों हेतु रक्षित धनराशि से चालू कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-03 में अंकित कार्य के सापेक्ष तालिका के कॉलम-9 में अंकित कुल धनराशि रू0 12.14 लाख (रूपये बारह लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	सिविल कार्य की लागत	विद्युत कार्य की लागत	कुल लागत	2021-22 में आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनुरक्षण खण्ड-1 (सि0) लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय परिसर स्थित लेखावर्ग एवं सी0सी0एल0 कक्ष संख्या- म-203, म-208 एवं म-114 में विविध सिविल तथा म-114 में विद्युत संबंधी निर्माण कार्य।	20.80	2.54	23.34	10.00	13.34	12.14
		योगः-	**20.80**	**2.54**	**23.34**	**10.00**	**13.34**	**12.14**

कुल अवमुक्त धनराशि 12.14 (रूपये बारह लाख चौदह हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समायावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त पारियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबधित बजट के ऑन लाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्य मदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने से संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-02 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04-11-2022 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,14,000 (रुपये बारह लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054808000600 प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु और छोटे निर्माण कार्यों हेतु रक्षित धनराशि 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जुलाई 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-86/**2023/513/001-513-23-10-2023-18-सा0-2022**, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(4) संबंधित कोषाधिकारी।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(6) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(7) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in